THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI); Yes, Sir.

The specific charge under FERA is that during the year 1935 Shri Kailash Nath Aggarwal @ Mamaji in association with Shri Chandra Swami . acquire^ Foreign Exchange of U.S. $50 lakhs and instead of surrendering it to an authorised dealer in foreign exchange transferred the same to the account *of* a person resident outside India in contravention of the provisios of FERA, 1973. The Directorate of Enforcement have issued summons to Shri Chandra Swami in the case. Shri Kailash Nath Aggarv/al @ Mamaji was arrested On 24-2.-90 aid was in judicial custody till 25-4-90

.Jordans Ban on Import of*Meat from India

1060. SHRI KAPIL VERMA;
SHRIMATI VEEN A VERMA:
SHRIMATI KAILASHPATI:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state;

(a) what according to Government are the reasons for Jordan banning import of meat from India; and

(b) what is the position of actual export from India after lifting the ban by Jordan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN): (a) and (b) Jordan banned import of meat from India reportedly dus to foot and mouth disease among animals in some parts of India and unhygienic conditions under which Indian meat was produced. The ban was lifted during December, 1989 when the matter was taken up with the Jordanian authorities. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) has reported that an estimated quantity of 141 MTs of frozen buffalo meat valued at Rs. 29.60 lakhs has been exported to Jordan during March, 1990.

बैंकों में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारी

1061. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1990 के फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में 'थी बैंक्स स्ट्रक विद बैड एडवांजज अंफ रु 1,912 क्रोर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त समाचार में उल्लिखित अग्रिमों के बारे में विस्तृत जांच करायी है ; और

(ग) जांच के दौरान पता लगायी गई अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या-क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 19 अप्रैल, 1990 के फाइनेंशियल एक्सप्रस, नई दिल्ली में प्रकाशित माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समाचार को देखा है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के अनुसार अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के संबंध में अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए अपनी वार्षिक आय में से प्रत्येक वर्ष व्यवस्था करते हैं । बकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन पत्र एवं लाभ व हानि लेखे के फार्मों के अनुसार, जिनका सभी बैंकों को कड़ाई के साथ पालन करना होता है और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एव रीतिरिवाजों के अनुसार, बैंकों को उन अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की रकम को प्रकट करने से सांविधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है जिनके लिए उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के अनुसार व्यवस्था कर ली गई है ।